

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-12/निजी-70064/2023 सा0प्र0- /श्रीमती मनीषा, बि0प्र0से0 (को0क्र0-624/24), उप सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-20008, दिनांक-21.10.2025 द्वारा पूर्व में स्वीकृत दिनांक-09.10.2025 से दिनांक-17.01.2026 तक कुल-101 दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी के क्रम में बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-18.01.2026 से दिनांक-25.03.2026 तक कुल-67 (सड़सठ) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उर्पयुक्त शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती मनीषा, बि0प्र0से0 के पक्ष में कुल-562 दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. श्रीमती मनीषा को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

झापांक-12/निजी-70064/2023 सा0प्र0- 5147 /पटना, दिनांक- 15.03.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना/श्रीमती मनीषा, बि0प्र0से0 (को0क्र0-624/24), उप सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।